

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2010—कार्तिक 1, शक 1932

#### सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 5-2-2010-पन्द्रह-1-बी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 16 जून, 2009 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई शक्तियों तथा अधिरोपित किए कर्तव्यों का, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा, सारणी के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक और उक्त सारणी के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग किया जाएगा तथा उनका पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

#### सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारी	शक्तियों तथा कर्तव्यों की सीमा	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, भोपाल.	विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के जिलों की सीमाओं के भीतर).	1. भोपाल 2. रायसेन 3. विदिशा 4. सीहोर 5. राजगढ़
2.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, इन्दौर.	—तदैव—	1. इन्दौर 2. खरगौन 3. बड़वानी

(1)	(2)	(3)	(4)
	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, इन्दौर.	विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के जिलों की सीमाओं के भीतर).	4. धार 5. खण्डवा 6. झाबुआ 7. बुरहानपुर 8. अलीराजपुर
3	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, ग्वालियर.	—तदैव—	1. ग्वालियर 2. दतिया 3. शिवपुरी 4. गुना 5. अशोकनगर
4	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जबलपुर.	—तदैव—	1. जबलपुर 2. कटनी 3. छिंदवाड़ा 4. सिवनी 5. मण्डला 6. नरसिंहपुर 7. बालाघाट
5	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रीवा.	—तदैव—	1. रीवा 2. सीधी 3. सतना 4. सिंगरौली
6	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, उज्जैन.	—तदैव—	1. उज्जैन 2. देवास 3. शाजापुर 4. रतलाम 5. मंदसौर 6. नीमच
7	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, सागर.	—तदैव—	1. सागर 2. टीकमगढ़ 3. छतरपुर 4. पन्ना 5. दमोह
8	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, नर्मदापुरम, होशंगाबाद.	—तदैव—	1. होशंगाबाद 2. हरदा 3. बैतूल
9	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, शहडोल.	—तदैव—	1. शहडोल 2. अनूपपुर 3. उमरिया 4. डिण्डोरी
10	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, चंबल (मुरैना).	—तदैव—	1. मुरैना 2. भिण्ड 3. श्योपुर.

No. F-5-2-2010-XV-1-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this department's NOTification No. F-5-1-99-XV-1-B, dated 16th June, 2009, the State Government, hereby directs that the powers conferred and duties imposed on the Registrar under the said Act and the rules made thereunder shall be exercised and performed by the officers specified in column (2) of the table below to the extent as specified in column (3) thereof and within the area as specified in column (4) of the said table, namely :—

TABLE

S. No.	Officers	Extent of powers and duties	Specified areas (District)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Joint Registrar, Co-operative Societies, Bhopal.	All powers and duties of the Registrar in respect of all the societies of the districts in the specified areas (within the limits of the districts in the division).	1. Bhopal 2. Raisen 3. Vidisha 4. Sehore 5. Rajgarh
2	Joint Registrar, Co-operative Societies, Indore.	—do—	1. Indore 2. Khargone 3. Badwani 4. Dhar 5. Khandwa 6. Jhabua 7. Burhanpur 8. Alirajpur
3	Joint Registrar, Co-operative Societies, Gwalior.	—do—	1. Gwalior 2. Datia 3. Shivpuri 4. Guna 5. Ashoknagar
4	Joint Registrar, Co-operative Societies, Jabalpur.	—do—	1. Jabalpur 2. Katni 3. Chhindwara 4. Seoni 5. Mandla 6. Narsinghpur 7. Balaghat
5	Joint Registrar, Co-operative Societies, Rewa.	—do—	1. Rewa 2. Sidhi 3. Satna 4. Singroli
6	Joint Registrar, Co-operative Societies, Ujjain.	—do—	1. Ujjain 2. Dewas 3. Shajapur 4. Ratlam 5. Mandsour 6. Neemuch

(1)	(2)	(3)	(4)
7	Joint Registrar, Co-operative Societies, Sagar	All powers and duties of the Registrar in respect of all the societies of the districts in the specified areas (within the limits of the districts in the division).	1. Sagar 2. Tikamgarh 3. Chhatarpur 4. Panna 5. Damoh
8	Joint Registrar, Co-operative Societies, Narmadapurma, Hoshangabad.	—do—	1. Hoshangabad 2. Harda 3. Betul
9	Joint Registrar, Co-operative Societies, Shahdol.	—do—	1. Shahdol 2. Anuppur 3. Umaria 4. Dindori
10	Joint Registrar, Co-operative Societies, Chambal, (Morena).	—do—	1. Morena 2. Bhind 3. Sheopur.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 5-2-2010-पन्द्रह-1-सी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (5) में, अनुक्रमांक 36 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

- “37 बुरहानपुर  
38 अशोकनगर  
39 अनूपपुर”

No. F-5-2-2010-XV-1-C.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-5-1-99-XV-1-C, dated 26th July, 1999 namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the first Schedule, in column (5) against serial number 1, after serial number 36 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall added, namely :—

- “37 Burhanpur  
38 Ashoknagar  
39 Anoopur.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.